अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1. क्षेत्र के बारे में

मनोरंजन क्षेत्र के विभिन्न भाग हैं जिसमें टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री सहित फिल्म निर्माण, कॉपीराइट, कलाकारों से लेकर सहायक सेवाओं जैसे नृत्य निर्देशक और बालों के स्टाइलिस्ट, प्रतिभावान कलाकारों का चुनाव करने वाली एजेंसी, समाचार एजेंसी, सीधा प्रसारण और कार्यक्रम कवरेज, प्रसिद्ध व्यक्ति प्रबंधन और ब्रांड समर्थन, रेडियो, साउंड रिकॉर्डिंग, एनीमेशन, गेमिंग और दृश्यात्मक प्रभाव तक के पेशेवर लोगों की सेवाओं जैसे उसके उप-भाग शामिल हैं। ब्रांड प्रमोशन और प्रायोजिकता सेवाऐं इस क्षेत्र से विस्तारपूर्वक जुड़ी हुई हैं।

पिछले दो दशकों में मनोरंजन इंडस्ट्री ने भारत में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री के रूप में तीव्र वृद्धि दर्ज की है। विश्व स्तर पर, भारत में मीडिया और मनोरंजन का पांचवा सबसे बड़ा बाजार है। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेलीविजन बाजार भी है और टिकट बिक्री और निर्मित फिल्मों की संख्या के संबंध में विश्व की सबसे बडी फिल्म इंडस्ट्री है।

1.2. मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित सेवाऐं

मनोरंजन सेवा (ईएस) से संबंधित निम्नलिखित नौ सेवाओं को सेवा कर के अंतर्गत अलग लेखा कोड में निर्धारित किया गया है और विशेष रूप से निर्धारण योग्य हैं:

(i) प्रसारण सेवाएं,

(ii) प्रकाशनाधिकार सेवा - अस्थाई स्थानांतरण/परमिट उपयोग या आनंद,

(iii) कार्यक्रम प्रबंधन,

(iv) साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो या एजेंसी सेवाऐं,

(v) कार्यक्रम निर्माता द्वारा सेवाऐं,

(vi) प्रचार सेवाऐं या माल/सेवा/कार्यक्रम के ब्रांड की मार्केटिंग,

(vii) खेलकूद प्रायोजिकता सहित निगमित निकाय या फर्म को प्रदत्त प्रायोजिकता,

(viii) वीडियो निर्माता एजेंसीयां/वीडियो टेप निर्माता सेवाऐं और

(ix) केबल ऑपरेटर्स।

उपरोक्त नौ सेवाओं के अतिरिक्त, कई सेवाऐं नकारात्मक सूची में शामिल नहीं हैं और इसलिये 1 जुलाई 2012 से करयोग्य हैं, जैसे पेशेवर, कलाकार आदि जो बहुप्रयोजन शीर्ष 'अन्य करयोग्य सेवाओं' में शामिल हैं और स्पष्ट रूप से निर्धारण योग्य नहीं है।

1.2.1. इन सेवाओं का महत्व[1]

भारत में प्रसारण इंडस्ट्री के पास लगभग 800 सैटलाइट टेलीविजन चैनल, 242 एफएम चैनल और 100 ऑपरेशनल कम्यूनिटी रेडियो हैं और 2010-14 के दौरान 12 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। टेलीविजन चैनलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई थी और बढ़ते हुये टेलीविजन चैनलों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये कार्यक्रम निर्माण सेवाओं हेतु मांग काफी बढ़ी। 2015 में, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड (सीबीएफसी) की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 1,827 डिजिटल फीचर फिल्में बनायीं। भारत ने शीर्ष फिल्म निर्माता के रूप में अपना स्थान बनाया। एनीमेशन, दृश्यात्मक प्रभाव (वीएफएक्स) और निर्माण भाग भारत में नया उभरता क्षेत्र है जो घरेलू और विदेशी बाजार दोनों में अवसर प्रदान करता है। भारत में संगठित कार्यक्रम प्रबंधन इंडस्ट्री को वार्षिक तौर पर कम से कम 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हेतु तैयार किया गया था और 2014-15 तक ₹ 5,500 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान था।

1.2.2. मनोरंजन क्षेत्र से राजस्व की प्रवृत्ति

मनोरंजन कर से पीएलए और सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से कुल सेवा कर संग्रहण में पिछले तीन सालों में 9.9 प्रतिशत औसत विकास दर सहित 94 प्रतिशत दर पर कॉपीराइट वृद्धि के साथ-साथ माल के 'ब्रांड', सेवाओं, कार्यक्रम

[1] http://www.makeinindia.com/article/-/v/sector-survey-media-and-entertainment से लिया गया डाटा

व्यापार इकाई आदि का प्रचार (32 प्रतिशत) और प्रायोजिकता सेवा (18 प्रतिशत) में वृद्धि हुई है।

पिछले चार वर्ष के दौरान मनोरंजन क्षेत्र से पीएलए से कुल सेवा कर संग्रहण 43 प्रतिशत तक बढ़ा है जबकि उसी अवधि के दौरान सेनवेट उपयोग में 88 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र से राजस्व (पीएलए और सेनवेट) और कर आधार की प्रवृति को निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाया गया है:-

तालिका संख्या 1: मनोरंजन क्षेत्र से सेवा कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष / सेवा	2012-13		2013-14		2014-15		औसत वार्षिक विकास दर	
	पीएलए	सेनवेट	पीएलए	सेनवेट	पीएलए	सेनवेट	कुल एसटी राजस्व	सेनवेट और पीएलए की प्रतिशतता के रूप में सेनवेट
प्रसारण सेवा	1,770.77	3,061.68	1,680.01	3,169.60	2,012.63	3,240.80	1.85	4.34
	4,832.45		4,849.61		5,253.43			
सिनेमाटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग सेवा पर कापीराइट	113.06	115.87	280.13	318.91	314.50	443.73	54.76	94.12
	228.93		599.04		758.23			
कार्यक्रम प्रबंधन सेवा	351.00	181.85	374.71	219.43	432.84	268.76	7.68	14.79
	532.85		594.14		701.59			
माल के 'ब्रांड', सेवाओं, कार्यक्रमों, व्यापार इकाई आदि का प्रचार	67.69	13.87	80.73	25.96	107.64	34.48	11.41	32.02
	81.56		106.69		142.13			
साउंड रिकॉर्डिंग सेवा	19.92	3.09	20.18	3.55	20.78	3.17	0.20	2.02
	23.01		23.73		23.95			
प्रायोजिकता सेवा	150.36	52.97	159.62	54.19	203.79	77.47	5.74	18.35
	203.33		213.81		281.26			
टीवी और रेडियो कार्यक्रम निर्माण	223.74	109.06	208.66	138.47	222.61	147.82	5.76	5.51
	332.80		347.13		370.43			
वीडियो टेप निर्माण	97.44	40.56	102.66	68.63	108.19	49.21	4.50	8.01
	137.99		171.29		157.40			
केबल ऑपरेटर सेवा	143.57	500.17	119.65	597.14	172.06	613.46	8.67	10.47
	643.74		716.78		785.53			
कुल	**2,937.55**	**4,079.12**	**3,026.35**	**4,595.88**	**3,595.04**	**4,878.90**	**5.54**	**9.90**
	7,016.67		**7,622.23**		**8,473.94**			

स्रोत: डीजी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराया गया एसीईएस डाटा

1.2.3. मनोरंजन क्षेत्र में कर आधार

तालिका संख्या 2

वर्ष / सेवा	निर्धारितियों की संख्या			औसत वार्षिक विकास दर
	2012-13	2013-14	2014-15	
प्रसारण सेवा	1,145	1,377	1,554	13.78
सिनेमाटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग सेवा पर कापीराइट	555	742	885	27.55
कार्यक्रम प्रबंधन सेवा	7,849	10,024	11,752	19.20
माल के 'ब्रांड', सेवाओं, कार्यक्रमों, व्यापार इकाई आदि का प्रचार	1,172	2,175	3,224	64.86
साउंड रिकॉर्डिंग सेवा	737	954	1,127	18.87
प्रायोजिकता सेवा	4,011	5,205	5,951	68.13
टीवी और रेडियो कार्यक्रम निर्माण	2,160	2,216	2,398	4.98
वीडियो टेप निर्माण	1,942	2,630	3,179	22.92
केबल ऑपरेटर सेवा	3,959	4,954	6,243	18.16
कुल योग	**23,530**	**30,277**	**36,313**	**24.08**

स्रोत: डीजी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराया गया एसीईएस डाटा

चार्ट संख्या 1

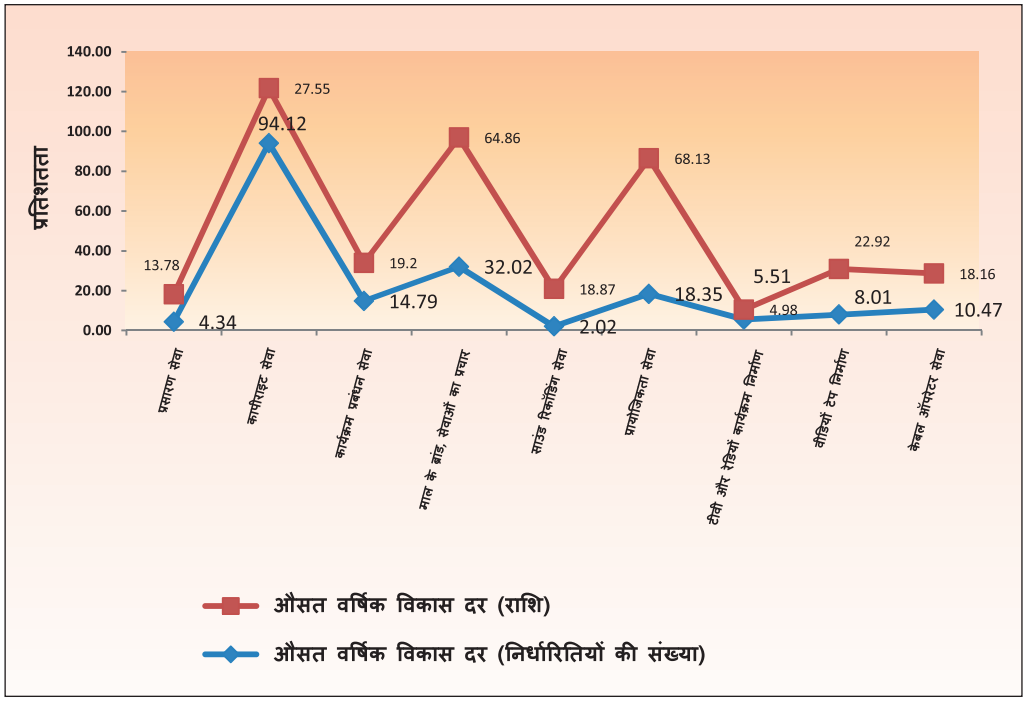

- पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारितियों की संख्या में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। तथापि, संबंधित राजस्व वृद्धि केवल 9.90 प्रतिशत हुई (पीएलए और सेनवेट)।

1.3. हमने यह विषय क्यों चुना

- 2014-15 में समाप्त तीन वर्ष की अवधि में प्रसारण सेवाओं, कार्यक्रम प्रबंधन, टीवी और रेडियो कार्यक्रम निर्माण, प्रायोजिकता सेवाऐं, वीडियो टेप निर्माण, ब्रांड और प्रायोजिकता सेवाओं के प्रचार जैसी सेवाओं से राजस्व में काफी वृद्धि हुई है।
- कर गणना पर प्रभाव सहित इन सेवाओं के बीच अंतर संबंध हैं।
- टीवी और रेडियो कार्यक्रम निर्माण, कार्यक्रम प्रबंधन जैसी सेवाओं से सेवा कर राजस्व में वृद्धि इन क्षेत्रों के लिये प्रमाणित/संभावित इंडस्ट्री विकास दर के अनुरूप नहीं थी।
- वर्तमान समय में इस क्षेत्र की करदेयता प्रभावित करने वाले कानून में कुछ मुख्य न्यायिक घोषणाऐं और संशोधन थे।
- इस क्षेत्र में अभी तक कोई विस्तृत लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

1.4. लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा निम्नलिखित निर्धारित करने के लिये की गई थी:

(i) मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित सेवा कर का उद्ग्रहण, संग्रहण और निर्धारण के संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों/व्यापार नोटिस आदि की पर्याप्तता और क्या कानून के प्रावधानों का उचित रूप से पालन किया जा रहा है;

(ii) वित्त अधिनियम, सेवाकार नियमावली और अन्य संबंधित नियमावली में निर्धारित नियमों और विनियमों को लागू करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने में विभागीय प्रशासन की दक्षता एवं प्रभावकारिता; तथा

(iii) अध्ययन के अंतर्गत विषय से संबंधित उस सीमा तक सेवा प्रदाताओं को सेवाकार अदा करना होगा, जो कर दायरे में शामिल हों/से बाहर हों।

1.5. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कवरेज़

लेखापरीक्षा के दौरान हमने 17 आयुक्तालयों[2] (एकीकृत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के साथ-साथ एसटी सहित) का चयन किया और उन्हें शामिल किया जो इस लेखापरीक्षा में शामिल करने के लिए निर्धारित नौ सेवाओं के संबंध में वर्ष 2015-16 के लिए पूरे भारतीय राजस्व का 33 प्रतिशत था। हमने प्रत्येक चयनित कमिश्नरी में एक डिवीज़न और एक रेंज की लेखापरीक्षा की तथा चयनित आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में 307 निर्धारितियों के अभिलेखों की विस्तृत जांच की। इस लेखापरीक्षा की अवधि 2013-14 से 2015-16 थी।

1.6. आभार

हम इस लेखापरीक्षा के आयोजन हेतु आवश्यक अभिलेख प्रदान करने में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

हमने 22 अगस्त 2016 को सीबीईसी अधिकारियों के साथ एंट्री कांफ्रेंस में लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा की थी तथा 31 मई 2017 को आयोजित एक्जिट कांफ्रेंस में लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं सिफारिशों पर चर्चा की गई। मंत्रालय ने मई 2017 में उत्तर प्रस्तुत किया जो इस प्रतिवेदन में शामिल किया था।

[2] अहमदाबाद एसटी, भुवनेश्वर एसटी, बैंग्लुरू एसटी I, चण्डीगढ़-I, चेन्नै एसटी-II, कोचीन, दिल्ली एसटी-I, दिल्ली एसटी-II, दिल्ली एसटी-III, हैदराबाद एसटी, जयपुर, कोलकाता एसटी-II, मुंबई एसटी-III, मुंबई एसटी-IV, मुंबई एसटी-VI, मुंबई एसटी-VII, और नोएडा एसटी।